Email id -
seeudc1gzb@gmail.com
CUG Mob.-9193320111
CIN:U31200UP2003SGC027458

कार्यालय
अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
ए–ब्लॉक, हाईडिल कॉलोनी, कविनगर,
गाजियाबाद।

पत्रांक 948 / वि0न0वि0म0–प्रथम / गा0बाद दिनांक 12/07/24

विषयः–विज्ञापन प्रकाशित करने हेतु आदेश।

सेवा में,

विज्ञापन व्यवस्थापक
अमर उजाला, नई दिल्ली।

विज्ञापन व्यवस्थापक
भावी सत्ता, गाजियाबाद।

महोदय,

आपके प्रतिष्ठित दैनिक/साप्ताहिक समाचार पत्र के एक अंक में आपके यह उपलब्ध छोटे से छोटे टाइप और कम से कम स्थान में दो कॉलम साइज में दिनॉक **13.07.2024** तक को प्रकाशनार्थ संलग्न विज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है। हैडिंग व नीचे के नाम व पते में भी बडा टाइप न लगायें तथा नाम व पता एक ही लाइन में छापें। विज्ञापन में शीर्ष पर पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0 का मोनोग्राम एंव सबसे नीचे इस आदेश की संख्या व दिनॉक भी छोटे से छोटे टाईप में अवश्य प्रकाशित करें। इस निर्देशों के विपरीत छपे विज्ञापनों के बीजकों में आवश्यक कटौती करने के लिए पश्चिमॉचल विद्युत वितरण निगम लि0 बाध्य होगा।

1. स्थानीय प्रकृति की सूचना जैसे–बिजली बंद रहने की सूचना, उपभोक्ता शिविर लगने की सूचना, बिजली बिलों के सम्बन्ध में सूचना आदि का प्रकाशन यथा सम्भव समाचार पत्र के स्थानीय पृष्ठ पर तथा ई–निविदा सूचनाओं का प्रकाशन ई–निविदा हेतू निर्धारित पृष्ठ पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतू प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क की बीजक तीन प्रतियों मे अग्रिम भुगतान प्राप्ति रसीदी टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की सम्पूर्ण वाउचर प्रतियां संलग्न करते हुए भुगतान हेतू प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विक्टोरिया पार्क, मेरठ को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति के स्थान पर फोटो प्रति प्रेषित करने पर सत्यापन भुगतान सम्भव न होगा।
3. संलग्न हिन्दी/अंग्रेजी विज्ञापन का प्रकाशन हिन्दी भाषा में 8–10 प्वाइंट टाईप में एक ही कॉलम में किया जाये। अंग्रेजी भाषा सामग्री का प्रकाशन हिन्दी भाषा में अनुवाद के पश्चात ही करें जिसके लिए समाचार पत्र को कोई अतिरिक्त शुल्क देय नही होगा।
4. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्वतः एक सप्ताह के अन्दर विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये अन्यथा सम्बधित बीजक का सत्यापन भुगतान नही किया जायेगा।
5. टेन्डर/सूचना इत्यादि यदि आपको सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0 तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापन देय स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन प्रकाशित न करें। अधोहस्ताक्षरकर्ता को अविलम्व इस आशय से सूचना देने का कष्ट करें।

विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाईप में "राष्ट्र हित में बिजली बचायें" का नारा तथा विद्युत चोरी का हेल्प लाइन नम्वर अवश्य दें।

संलग्नकः--विज्ञापन सामग्री

भवदीय

(अशोक सुन्दरम)
अधीक्षण अभियन्ता
Superintending Engineer
Electricity Urban Distribution Circle-I
Ghaziabad

पत्रांक : 948 / वि0न0वि0मण्डल–प्रथम / गा0बाद दिनांकः– 12/07/24

प्रतिलिपि निम्न को विज्ञापन सामग्री सहित सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदा को निगम की वेबसाईट पर डलवाने की कृपा करें।
2. मुख्य अभियन्ता(वि0) गाजियाबाद क्षेत्र–प्रथम, गाजियाबाद।
3. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ। (ई–मेलः–propvvnlmrt@gmail.com)
4. सम्बन्धित निविदा पत्रावली।

(अशोक सुन्दरम)
अधीक्षण अभियन्ता
Superintending Engineer
Electricity Urban Distribution Circle-I
Ghaziabad

पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लि0

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

ई–निविदायें क्रमशः–10/2024-25/EUDC-I/GZB धरोहर–10000, वि0न0वि0ख0–प्रथम, गा0बाद के कार्यक्षेत्र में जमा योजना मद में विद्युतीकरण, पोल शिफ्टिंग संयोजन एवं भार बढ़ाने सम्बन्धी कार्य। 11/2024-25/EUDC-I/GZB धरोहर–16900, वि0न0वि0ख0–नवम गाजियाबाद के कार्यक्षेत्र में सुमित डिजिटल इन्फ्रा प्रा0लि0 के विद्युत संयोजन के भार वृद्धि सम्बन्धी कार्य। 12/2024-25/EUDC-I/GZB धरोहर–7510, वि0न0वि0ख0–नवम गाजियाबाद के कार्यक्षेत्र में मै0 सनसिटी हाईटेक रायल कैसल फ्लोर के काजीपुरा से डासना तक 11 केवी0 लाईन स्थानान्तरित करने सम्बन्धी कार्य। ये निविदाये दिनांक 29.07.2024 12:00 तक भरी एवं उसी दिन 17:00 खोली जायेगी। किसी भी संसोधन/सूचना https://etender.up.nic.in तथा www.pvvnl.org पर देखी जा सकती है।

Superintending Engineer
अधीक्षण अभियन्ता
Electricity Urban Distribution Circle-I
Ghaziabad
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम,गाजियाबाद

"राष्ट्रहित में बिजली बचायें"

अमर उजाला => 13 जुलाई 2024

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०

अल्पकालीन ई-निविदा सूचना ई-निविदा क्रमांक - 10/2024-25 EUDC-I-GZB [illegible] - 10000 [illegible] प्रथम, गाजियाबाद के [illegible] योजना मद में विद्युतीकरण, [illegible] संयोजन एवं भार बढ़ान सम्बन्धी कार्य 11/2024-25 EUDC-I-GZB धरोहर - 16900, वि०न०वि०खं० - नवम गाजियाबाद के कार्यक्षेत्र में सुमित डिजिटल इन्फ्रा प्रा०लि० के विद्युत संयोजन के भार वृद्धि सम्बन्धी कार्य। 12/2024-25 EUDC-I-GZB धरोहर - 7510 वि०न०वि०खं०-नवम गाजियाबाद के कार्यक्षेत्र में मै० [illegible] [illegible] 11 केवी० लाईन [illegible] सम्बन्धी कार्य। [illegible] दिनांक 29.07.2024 12:00 तक [illegible] उसी दिन [illegible] खोली जायेगी। किसी भी संशोधन / सूचना https://etender.up.nic.in तथा www.pvvnl.org पर देखी जा सकती है। "राष्ट्रहित में बिजली बचायें"। अधीक्षण अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण मण्डल प्रथम, गाजियाबाद। पत्रांक [illegible] दिनांक 12/07/2024

कलम चली बेढंगी चाल

स्वर्ग का महत्व

[illegible]

राजवीर सिंह
संपादक

आप ऐसी राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी है

आपराधिक केस में जिसे बनाया गया है आरोपी---

अदालत ने आप और केजरीवाल दोनों को हाजिर होने का सुनाया आदेश

मामाल 100 करोड़ की घूस और घोटाले का है

भावीसत्ता से अरुन मित्तल
गाजियाबाद। आम आदमी पार्टी (आप) पहली ऐसी राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टी है, जिसे आपराधिक केस में आरोपित बनाया गया है। अब आप के खिलाफ भी अदालत में मुकदमा चलेगा। अदालत ने केजरीवाल और आप दोनों को हाजिर होने का आदेश सुनाया है। यदि वह अपराध में दोषित की गई, तो चुनाव आयोग पार्टी की मान्यता भी रद्द कर सकता है। पराकाष्ठा की यह स्थिति करीब 12 साल में ही आ गई।

आप के राष्ट्रीय संयोजक अर्थात मुखिया केजरीवाल को भी आरोपित बना दिया गया है। मुख्यमंत्री होने के बावजूद वह जेल में हैं। उनकी कैबिनेट में उपमुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री रहे सत्येंद्र जैन भी लंबे वक्त से जेल में हैं। संदर्भ दिल्ली में नई शराब नीति की आड़ में 100 करोड़ रुपए की घूस और घोटाले का है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत में दाखिल आरोप-पत्र में केजरीवाल को किंगपिन करार दिया है। विडंबना है कि जिस पार्टी का स्थापना भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुई थी और जो आज तक कट्टर ईमानदारी और शुचिता के दावे करती रही है, उस पार्टी का अस्तित्व भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के कारण संकट में पड़ गया है। आप के प्रवक्ता और नेता 'चुनावी बॉन्ड' का प्रलाप करते हुए आरोप-पत्र को खारिज नहीं कर सकते।

यह ईडी को साबित करना है कि केजरीवाल के खिलाफ सबूतों की बरामदगी नहीं हुई है, फिर भी वह जेल में हैं। साक्ष्य और मनी ट्रेल भी ईडी को ही पेश करने हैं। जांच एजेंसी अभी तक न्यायाधीशों के सामने कुछ साक्ष्य तो पेश कर रही होगी, जिनके आधार पर पदासीन मुख्यमंत्री भी जेल में हैं। अब ट्रायल अदालत में होगा और वह ही अंतिम निष्कर्ष देगी। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की अब कोई भूमिका नहीं है।

केजरीवाल लगातार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की बात अदालत के सामने कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अदालत के विवेक पर कोई असर नहीं पड़ा है। दरअसल बुनियादी आरोप 45 करोड़ रुपए की घूस का है, जो राशि हवाला के जरिए, गोवा चुनाव के दौरान, भेजी गई थी। बेशक केजरीवाल पक्ष कुछ भी दलीलें देता रहे, लेकिन बुनियादी लाभार्थी तो आप और उसके मुखिया केजरीवाल हैं। हवाला कारोबारियों की कंपनियों के अलग-अलग नाम हैं, लेकिन उनका जुड़ाव केजरीवाल और आप से था।

आरोप-पत्र में चनप्रीत सिंह के बैंक खाते का जिक्र किया गया है। हवाला का पैसा उस तक आया था और वह गोवा में आप का कर्ताधर्ता था। केजरीवाल के वकीलों को साबित करना है कि केजरीवाल और चनप्रीत के कोई कारोबारी संबंध नहीं थे। वह पार्टी के आधार पर काम नहीं कर रहा था। गोवा में चुनाव प्रत्याशियों को नकदी पैसा बांटने में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। जिन चुनावी उम्मीदवारों को नकदी पैसा दिया गया, उनके नाम, बयान और ब्योरे भी ईडी ने आरोप-पत्र में दर्ज किए हैं।

बैंकों के नोट और उनके सीरियल नंबरों का उल्लेख भी किया गया है। बहरहाल हम इन्हें खाली आरोप मान भी लें, तो अब अदालत को तय करना है कि कौन सच्चा है और कौन अपराधी है? चूंकि आप को लाभान्वित माना गया है, लिहाजा उसे आरोपी नंबर 38 बनाया गया है, जबकि केजरीवाल आरोपी नंबर 37 हैं।

सवाल है कि मनी लॉन्ड्रिंग वाले कानून के दायरे में क्या राजनीतिक पार्टी भी आती है? उस पर केस कैसे चलेगा? क्या पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों पर ही केस चलेगा? आरोप-पत्र के मुताबिक, पीएमएलए की धारा 70 के तहत आप 45 करोड़ रुपए की आपराधिक आय की लाभार्थी है। धारा 3 में आप को भी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी माना गया है। धारा 70 में यह भी स्पष्ट उल्लेख है कि जो कंपनी का इंचार्ज होगा, उसे ही अपराधी माना जाएगा। कानून में कंपनी की जो परिभाषा है, वह आप पर भी लागू होती है। मुख्यमंत्री एवं आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को भी आपराधिक आय की जानकारी थी। बहरहाल कंपनी दोषी साबित हुई, तो उसके जिम्मेदार प्रभारी जेल जाएंगे और पार्टी पर आर्थिक जुर्माना लगेगा। अब यह अदालत में स्पष्ट होगा कि केजरीवाल ही सर्वेसर्वा रहे हैं अथवा कोई और?

13 जुलाई किया जाएगा अत्यधिक वादों को निस्तारण

गाजियाबाद (भावीसत्ता संवाददाता)। आगामी 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में वादों के निस्तारण के संबंध में गुरुवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। जनपद की अदालतों में 13 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में वादों के निस्तारण के संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। सभी अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों के निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अपर जिलाधिकारी नगर गंभीर सिंह, अपर पुलिस उपायुक्त यातायात वीरेंद्र कुमार, चकबंदी अधिकारी [illegible], वन विभाग से विनोद कुमार, [illegible] से अंकित कुमार, [illegible] से अनुल, [illegible] से ज्ञानेंद्र सिंह, शिवम कुमार व सुभाष शेखर उपस्थित रहे।

शिक्षक संघ ने किया ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध

भावीसत्ता संवाददाता
गाजियाबाद। परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों का ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध लगातार जारी है। ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के नेतृत्व में सैकड़ों ने शिक्षक-शिक्षिकाओं ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉ. अनुज त्यागी ने बताया कि बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन शिक्षक शिक्षिकाओं की पूर्व से लंबित विभिन्न समस्याओं एवं मांगों के संबंध में संगठन द्वारा अनेकों अनेक पत्र शासन व विभाग में विभाग अधिकारियों को अवगत माध्यम से प्रेषित किए गए परंतु आज तक किसी भी समस्या का निस्तारण नहीं किया गया बल्कि शासन द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक शिक्षिकाओं से विद्यालय पंजिकाओं का डिजिटाइजेशन व डिजिटल ऑनलाइन से उपस्थिति कराए जाने जैसे निर्देश जारी कर दिए गए जो कि पूर्णतया अव्यवहारिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी ऐसा किया जाना व्यक्ति की निजता का हनन माना गया है। जबकि सचिवालय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा सहित अन्य विभागों में उपस्थिति की अन्य प्रणाली लागू की गई है। ऐसे में परिषदीय शिक्षकों के साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है जो कि न्यायोचित नहीं है।

संघ के जिलाध्यक्ष रविंद्र राणा ने कहा कि सबसे पहले शासन शिक्षकों की लंबित पड़ी समस्याओं का निस्तारण करे जिनमें मुख्यतः परिषदीय शिक्षकों को 14 सीएल, 30 ईएल एवं हाफ सीएल की सुविधा, बिना प्रीमियम कैशलेस चिकित्सा की सुविधा, समयबद्ध स्थानांतरण व पदोन्नति, वेतन विसंगतियों का निराकरण, परिषदीय विद्यालयों में लिपिक एवं चतुर्थ कर्मी की नियुक्ति, शिक्षक शिक्षिकाओं को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति तथा पुरानी पेंशन बहाली को जाए। जिस प्रकार अन्य विभागों में कर्मचारियों की उपस्थिति लिए जाने का प्रावधान है। उसी प्रकार परिषदीय शिक्षकों की भी उपस्थिति दर्ज कराई जाए अन्यथा संगठन आंदोलन को तीव्र करने पर विवश होगा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष रविंद्र राणा, प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉ अनुज त्यागी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदेश मित्तल, लोनी ब्लाक अध्यक्ष मनोज डागर, मुरादनगर ब्लाक अध्यक्ष अमित यादव, भोजपुर ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह, रजापुर ब्लाक अध्यक्ष मनोज कुमार, धर्मेश तोमर, अमित कुमार, सुनिता खटाना, नीतू नेहरा, अलका सिंह, अर्चना सिरोही, अमित चौधरी, अनुप्रीत, अरविंद, करन कुमार, प्रीती, अनुपमा, मालती, महेश कुमार, निशा रानी, गुलफाम अली, रविन्द्र पाल, नीता शर्मा, नरेश कानिया, दिव्या, प्रदीप, नितिन अज, बालराज जय प्रकाश, अमित, अब्दुल गफ्फार, महेश, प्रवीण, अजय, नूतन, अख्लाक अली सैफी, अनुपमा, बबली, सुनीता अर्चना, स्वेता, आशा, रेनु, सबीना देशवाल, ज्ञानेंद्र, गजपाल यादव, शाकीन, अनिता, अरुणा, लक्ष्मी, सुमन, अलका, गुलनाज, आशु, संध्या आदि उपस्थित रहे।

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के जाम से लाखों वाहन चालक परेशान

भावीसत्ता संवाददाता
गाजियाबाद। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्ग-9 (एनएच-9) पर ट्रैफिक जाम की समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। [illegible] इस कारण जनता को लगातार ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और एनएच-9 पर ट्रैफिक जाम की समस्या गंभीर होती जा रही है। [illegible]

[illegible] लिए वाहनों को लंबी कतारें लगती हैं। [illegible] तक जाती है।

एनएच-9 पर चलने वाला ट्रैफिक डासना से लेकर बिना रुकावट के दिल्ली तक पहुंच जाता है, लेकिन एंट्री पॉइंट पर चौड़ाई कम होने के कारण बॉटलनेक जैसी स्थिति बन जाती है। यहां एक बार में एक ही वाहन प्रवेश कर सकता है, जिससे पीछे तक लंबी लाइनें लग जाती हैं। कई बार यह कतार 500 मीटर से एक किलोमीटर तक भी हो जाती है।

जल्दबाजी में वाहन चालक दो से तीन लाइन बना लेते हैं, जिससे एनएच-9 की तरफ जाने वाला ट्रैफिक भी फंस जाता है और यहां [illegible] जाम लग जाता है। एनएचएआई के अधिकारियों का कहना है कि डासना के एंट्री पॉइंट को और चौड़ा नहीं किया जा सकता है, जबकि जनता का कहना है कि एनएचएआई ने यहां जल्दबाजी में काम किया है। यदि सर्विस रोड को थोड़ा चौड़ा किया जाता, तो एंट्री पॉइंट की चौड़ाई को बढ़ाया जा सकता था, लेकिन सर्विस रोड को बिल्कुल भी चौड़ा नहीं किया गया है।

इसके चलते लोगों को विजयनगर, शालीमार और सेक्टर-62 के पास जाम का सामना करना पड़ता है। एनएच-9 पर चलने वाले वाहन चालकों का कहना है कि इस समस्या के कारण रोजाना 10 से 15 मिनट का समय बर्बाद हो जाता है। एंट्री पॉइंट को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है।

एक अंडरपास में एनएच-9 के रास्ते सिद्धार्थ विहार, न्यू लिंक रोड, प्रताप विहार और आगे जाने वाले हजारों लोग रोजाना सेक्टर-62 से आने समय सिद्धार्थ विहार अंडरपास पर फंसते हैं। इस समस्या के कारण कीमती ईंधन और समय की बर्बादी होती है। सड़कों का संकरा होना तो समस्या का मुख्य कारण है ही, साथ ही अंडरपास के पास अवैध रूप से ऑटो और ई-रिक्शा चालकों के सवारी उतारने-चढ़ाने से समस्या और बढ़ जाती है।

इसके चलते शाम को एनएच-9 से उतरने ही सड़क रोड पर 500 मीटर पहले ही वाहनों की गति थम जाती है। लोगों का कहना है कि इस सड़क पर ट्रैफिक कई गुना बढ़ चुका है। यदि पिक ऑवर्स में ट्रैफिक स्टाफ बढ़ाएं और ऑटो चालकों को अंडरपास के किनारे खड़ा न होने दें, तो समस्या का समाधान हो सकता है। इसके अलावा यदि अंडरपास के अंदर के ट्रैफिक को एनएच-9 से आने वाले ट्रैफिक के साथ एक समय में एक तरफ का रोककर चलाया जाए, तो भी कुछ राहत मिल सकती है।

जाम लगाने और संपत्ति को नुकसान पहुचाने वाले 60 लोगों पर एफआईआर

भावीसत्ता संवाददाता
गाजियाबाद। [illegible] में रहा अपराध है। वारदात के 20 दिन बाद सिहानी थाना पुलिस ने जाम लगाने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन लोगों पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। मुकदमा सिहानी थाने में ही तैनात एसआई [illegible] कुमार की तहरीर पर दर्ज हुआ है। बता दें कि 21 जून की रात हरसिंगपुर थाना सिहानी वेदप्रकाश त्यागी के ठेके पर लेने वाले 55 वर्षीय पप्पू कुरैशी और उसके बेटे 25 वर्षीय शाहनवाज उर्फ राजा को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी, जबकि पप्पू का छोटा बेटा 22 वर्षीय [illegible] गोलियां लगने के बाद जख्मी हो गया। जिसका मेरठ में उपचार चला। मामले में पुलिस ने मुकेश त्यागी, दीपक त्यागी और बिट्टू को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। [illegible] पुलिस ने 50 हजार का इनाम घोषित कर रखा था, सिहानी थाना पुलिस ने दो दिन पहले उसे भी गिरफ्तार कर लिया था। पप्पू कुरैशी का परिवार मेरठ के जानी थानाक्षेत्र अंतर्गत रसूलपुर धौलड़ी गांव का रहने वाला है। सिहानी थानाक्षेत्र के [illegible] दोहरे हत्याकांड की खबर जंगल की आग की तरह फैली। 22 जून को सुबह करीब 10 बजे नानकार पटरी पर जमा हुई भीड़ ने हत्यारोपियों का एनकाउंटर और उनके मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान भीड़ ने जाम लगाकर सड़क पटरी की रेलिंग और अन्य सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान किया था।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०

पत्रांक– 948 / वि०न०वि०म०–प्रथम / गा०बाद दिनांक: 10–07–2024

ई–निविदा सूचना

ई निविदा संख्या – 10/2024-25/EUDC-I/GZB धरोहर राशि–10000 [illegible] 11/2024-25/EUDC-I/GZB धरोहर राशि–16900 [illegible] 12/2024-25/EUDC-I/GZB धरोहर [illegible] निविदा दिनांक 29.07.2024 12.00 तक [illegible] दिन 17.00 बजे [illegible] https://etender.up.nic.in तथा www.pvvnl.org पर देखी जा सकती है।

अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम
गाजियाबाद

[illegible]

NAME CHANGE

I, Asu Patel S/O Phool Singh, R/o 123, Hariharganj, Fatehpur, Uttar Pradesh- 212601, have changed my name and shall hereafter be Known as Akash Patel.

NAME CHANGE

I, Bunti Kumar S/O Jaipal Singh Employed as Assistant Director Government Of India R/o H.No-21, Milak Vikas Nagar, Loni Ghaziabad, Loni Dehat, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201102 have changed my name and shall hereafter be Known as Karanveer Singh.

NAME CHANGE

I, Jony Malik D/O Veer Sain Malik, R/o 506, 5th Floor, Supertech Eco Village- I, Greater Noida West, Bishrakh, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh- 201306, have changed my name and shall hereafter be Known as Janvi Chaudhary.

NAME CHANGE

I, SARWAR KHAN alias SARWAR HUSAIN S/O MOHAMMAD RIASAT, R/o Choki Hasan Khan, Abbas Inter College Ki Gali, Moradabad, Uttar Pradesh- 244001, have changed my name and shall hereafter be Known as SARWAR HUSSAIN.

NAME CHANGE

I, Brahma Dutta Arya S/O Om Prakash, R/o Haswa, Fatehpur, Uttar Pradesh- 212645, have changed my name and shall hereafter be Known as Vedansh Arya.

NAME CHANGE

I, Km Mina, W/O Mohd Ikhlak R/o 3rd, J-52, Nehru Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201001 have changed my name and shall hereafter be Known as Ameena Khan.

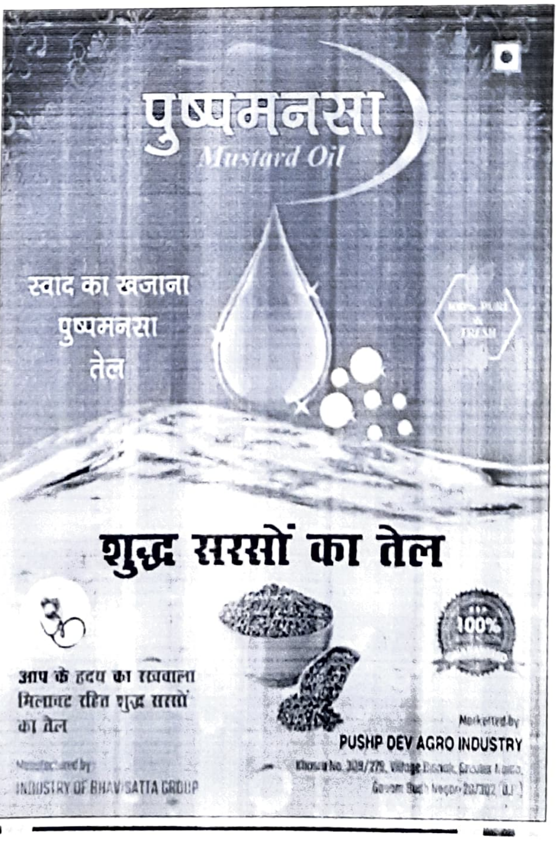

पत्रांक.....................   दिनांक..........................

टिप्पणी एवं आदेश

मुख्य अभियन्ता (वि0), गा0बाद क्षेत्र–प्रथम, गाजियाबाद।

महोदय,

कृपया सादर संज्ञान में लाना है कि विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम, गाजियाबाद के अधीन **विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–नवम, गा0बाद के कार्यक्षेत्र में मैसर्स सुमित डिजिटल इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्रा0लि0(पूर्व नाम मैसर्स रिलायंस जियो इन्फ्राकॉम लि0) के 16 नग विद्युत संयोजन के भार वृद्धि हेतु लाईन निर्माण करने सम्बन्धी समस्त कार्य** पूर्ण जमा योजना मद में बाह्य एजेन्सी के माध्यम से कराये जाने प्रस्तावित हैं।

उपरोक्त कार्य की **प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति** निगम मुख्यालय, मेरठ के कार्यालय ज्ञाप सं0 1504 दि0 09.07.2024 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा प्रदान की गयी। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य ई–निविदा के माध्यम से कराये जाने हेतु **अल्पकालीन ई–निविदा प्रकाशन** की अनुमति प्रदान करना चाहें। उपरोक्त कार्य कराये जाने में अनुमानित लागत **रू0 16.90 लाख (जी0एस0टी0 अतिरिक्त)** आने की सम्भावना है।

(अशोक सुन्दरम)
अधीक्षण अभियन्ता,
वि0न0वि0म0–प्रथम, गा0बाद
Superintending Engineer
Electricity Urban Distribution Circle-I
Ghaziabad

अल्पकालीन ई-निविदा प्रकाशन हेतु अनुमोदित।
11/7/24
मु.अ.

दूरभाष : 0121–2665734
फैक्स : 0121–2666062
सिन–U31200UP2003SGC027458

कार्यालय
प्रबन्ध निदेशक
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0
ऊर्जा भवन, विक्टोरिया पार्क, मेरठ

पत्रांक– प0वि0वि0नि0लि0 / तक0 / प्र.अनु.–5(नो) / (20) दिनांक : 09.07.2024

कार्यालय ज्ञाप

मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र–प्रथम, गाजियाबाद के पत्रांक 1956 / मु0अ0गा0क्षे0–प्रथम / गा0बाद / सी0 / अनु0 दिनांक 13.06.2024 द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम, गाजियाबाद के पत्रांक 657 / वि0न0वि0म0–प्र0, गाजियाबाद दिनांक 13.06.2024 द्वारा मण्डल के अन्तर्गत विद्युत नगरीय वितरण खण्ड–नवम, गाजियाबाद के कार्यक्षेत्र में मैसर्स सुमित डिजिटल इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्रा0लि0 (पूर्व नाम मैसर्स रिलायंस जियो इन्फ्रा कॉम लि) के 16 नग विद्युत संयोजन के भार वृद्धि हेतु लाईन निर्माण कराने सम्बन्धी कार्य को **पूर्ण जमा योजना** के अन्तर्गत बाह्य एजेन्सी के माध्यम से कराने हेतु धनराशि रू0 16.90 लाख एवं जी0एस0टी0 अतिरिक्त की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमति प्रबन्ध निदेशक महोदय, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ द्वारा निम्नानुसार अधोलिखित शर्तों पर प्रदान की गयी है:–

1. उक्त कार्य हेतु धनराशि का प्राविधान **पूर्ण जमा योजना** मद में उपभोक्ता द्वारा जमा करायी गयी धनराशि से किया जायेगा। पूर्ण धनराशि जमा कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) का होगा।
2. **यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत कार्य कराये जाने हेतु व्यय की जाने वाली अधिकतम धनराशि (जीएसटी सहित) प्राक्कलन में प्रावधानित स्थानीय अंश से अधिक न हो।**
3. उक्त कार्य ई–निविदा के माध्यम से ही कराया जायेगा।
4. कार्योत्तर प्राक्कलन सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जायेगी।
5. 11 के0वी0 अथवा 33 केवी लाईन शिफ्टिंग का कार्य में तकनीकी / प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कराया जायेगा।
6. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के आदेश संख्या 10–कार्य / चौदह–पा0का0लि0 / 2019–3–के / 2000 दिनांक 02.01.2019 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत उपरोक्त कार्य कराया जायेगा।
7. इस सम्बन्ध में निगम द्वारा समय–समय पर निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
8. इस कार्य को रेस्पो द्वारा निर्धारित विशिष्टीकरण, मानकों एवं दरों के अनुरूप ही कराया जायेगा तथा कार्य का विश्लेषण करके कम से कम लागत में कराया जायेगा।
9. दरों की औचित्यता सक्षम कार्य समिति द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
10. उक्त कार्य एवं दरों की जिम्मेदारी अधीक्षण अभियन्ता (वि0) की होगी।
11. कार्य कराये जाने पूर्व प्राक्कलन की वांछित सम्पूर्ण धनराशि (जी0एस0टी0 सहित) जमा कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (वितरण) का होगा।
12. सम्बन्धित अवर अभियन्ता के द्वारा उपरोक्त कार्य का कार्यत्तर प्राक्कलन बनाया जाएगा एवं तदनुसार मासिक लेखा में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित की जाएगी। इस प्रकार जमा योजना के कार्य में लगाई गई समस्त निगम के assets में सम्मिलित की जायेगी।
13. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन के पत्रांक 4512 चौदह / पाकालि / 2017–2000–टी–सी0–2017 दिनांक 27.11.2017 के अनुसार डिपॉजिट के कार्यों के प्राक्कलन की स्वीकृति से पूर्व उसकी तकनीकी रूप से सम्भव होने की स्वीकृति अगले उच्च अधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य है।
14. विद्युत प्रदाय संहिता 2005 में निहित प्राविधानों एवं उ0प्र0पा0का0लि0 लखनऊ के दिशा निर्देशों तथा समय समय पर उनके संशोधन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
15. प्राक्कलन उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ के दिशा निर्देश संख्या 15 / उ0ग0प्र0 (टैक्स) / जी0एस0टी0 सेल / 2019 दिनांक 09.04.2019 के अनुरूप सुनिश्चित किया जायेगा।
16. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, लखनऊ के आदेश सं0 1033–कार्य / चौदह–पाकालि / 2020–138–के / 2011 दिनांक 24.08.2020 के द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(अरूण कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता (तक0)

पत्रांक : 1504 / प0वि0वि0नि0लि0 / तक0 / प्र.अनु.–5(नो) / (20)तद्दिनांक:
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक (वित्त), प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ।
2. मुख्य अभियन्ता (वितरण), गाजियाबाद क्षेत्र- प्रथम, गाजियाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता–प्रथम (सा0प्र0), प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ को स्वीकृत प्राक्कलन की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि उक्त कार्य के लिये केन्द्रीयकृत सामग्री की व्यवस्था करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत भण्डार मण्डल, मेरठ को स्वीकृत प्राक्कलन की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित सामग्री प्रबन्धन अनुभाग से समन्वय स्थापित कर सामग्री की व्यवस्था करने का कष्ट करें।
5. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल–प्रथम, गाजियाबाद।

(अरूण कुमार)
अधीक्षण अभियन्ता (तक0)

सीसी:– निदेशक (तक0) महोदय, प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ को सादर अवलोकनार्थ।